

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F (6) 11/ 2005-II, dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Tundah

Dated Shimla-2, the 7<sup>th</sup> June, 2013

**NOTIFICATION**

Whereas a notification under Section 26A of Wildlife (Protection) Act 1972 ( 53 of 1972) was issued by the State Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-5 /99 dated 23.10.1999 to declare **Tundah as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 64.00 sq . km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7<sup>th</sup> May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010) has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas as a consequence of rationalization of boundaries of Tundah Wildlife Sanctuary out of actual ground area of 83.00 sq. km, 19.00 sq. km area (comprising of 18 villages list attached as Annexure-I) is hereby denotified. The remaining area of 64.00 sq. km shall constitute the Tundah Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the said Act is pleased to declare this remaining area of 64.00 sq. km as '**Tundah Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of the area of Tundah Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Tundah Wildlife Sanctuary.
1.	<b>Tundah</b>	i) Chamba ii) Chamba (WL) Division	<p><b>NORTH:</b> From Ridge point 5495 mtrs. height to point 5507 mtrs. height up to Kalicho Pass at Point 4999 mtrs. height along the boundary of Lahul Spiti District.</p> <p><b>EAST:</b> From Kalicho Pass at point 4999 mtrs. height to point 5688 Mtrs. to 5783 mtrs. up to Badakanda at point 5857 mtrs.</p> <p><b>SOUTH:</b> From Badakanda at point 5857 mtrs. to Chho Nalla to point 2829 mtrs. to 2865 mtrs. up to Bhadra Nalla to point 2275 mtrs. 2637 mtrs. along the boundary of Silpari PF to point 3094 mtrs. then along the boundary of Tundah PF and Gowar PF to Thalla Nalla up to point 3719 mtrs.</p> <p><b>WEST:</b> From point 3719 mtrs. to 3684 mtrs. to 3978 mtrs. to 4892 mtrs. to 5355 mtrs. up to point 5495 mtrs. all along the ridge</p>

This area is situated within the Geo-coordinates North Lat.  $32^{\circ} 40' 10''$  N & Long.  $76^{\circ} 31' 17''$  E East Lat.  $32^{\circ} 36' 15''$  N & Long.  $76^{\circ} 37' 52''$  E, South Lat.  $32^{\circ} 29' 15''$  N & Long.  $76^{\circ} 26' 14''$  E West Lat.  $32^{\circ} 30' 18''$  N & Long.  $76^{\circ} 24' 40''$  E which falls on Survey of India topo sheet No. 52D/6 & 52D/10 on scale 1: 50000.

**Area of Tundah Wildlife Sanctuary=64.00 sq. km**


By Order

Principal Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above  
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7<sup>th</sup> June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-I

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Village to be excluded from Tundah Wildlife Sanctuary</b>
1.	Bhadra
2.	Banni
3.	Mandha
4.	Kumharkadi
5.	Silpari
6.	Badgran
7.	Khanbug
8.	Kuthal
9.	Lahdogi
10.	Morthu
11.	Chular
12.	Tundah
13.	Gowar
14.	Sulo
15.	Banar
16.	Palani
17.	Sarotha
18.	Kuthar

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II तुन्दाह तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-5/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 64.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र तुन्दाह को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-1 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधिन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मौके पर भू-क्षेत्र 83.00 वर्ग किलोमीटर में से 19.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (जिसमें 18 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध-1 के अनुसार) को एतद्वारा अभ्यारण्य में से निकाल दिया गया है। युक्तिकरण के पश्चात् 64.00 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम, की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 64.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं ।

तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	तुन्दाह	i) चम्बा ii) चम्बा (वन्य जीव) मण्डल,	<p>उत्तर:—रिज पावाईट 5495 मीटर उंचाई से 5507 मीटर उंचाई से कालीछो दर्रा 4999 मीटर उंचाई तक लाहौल स्पिति जिला की सीमा के साथ-साथ ।</p> <p>पूर्व:—कालीछो दर्रा 4999 मीटर उंचाई से 5783 मीटर उंचाई से बडाकण्डा 5857 मीटर उंचाई तक ।</p> <p>दक्षिण:—बडाकण्डा 5758 मीटर उंचाई से छोनाला से 2829 मीटर उंचाई से 2865 मीटर उंचाई से भद्रानाला से 2275 मीटर उंचाई से 2637 मीटर उंचाई शिलपडी संरक्षित वन की सीमा के साथ 3094 मीटर उंचाई तक उसके बाद तुन्दाह संरक्षित वन तथा गवाड संरक्षित वन की सीमा के साथ थल्ला नाला 3719 मीटर उंचाई तक ।</p>

			पश्चिम:-3719 मीटर उंचाई से 3684 मीटर उंचाई से 3978 मीटर उंचाई से 4892 मीटर उंचाई से 5355 मीटर उंचाई से 5495 मीटर उंचाई तक चोटियों के साथ-साथ ।
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 32° 40' 10" उत्तर और देशान्तर 76° 31' 17" पूर्व । पूर्व अक्षांश 32° 36' 15" उत्तर और देशान्तर 76° 37' 52" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 32° 29' 15" उत्तर और देशान्तर 76° 26' 14" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 32° 30' 18" उत्तर और देशान्तर 76° 24' 40" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52डी/6 और 52डी/10, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाता है ।

क्षेत्रफल: 64.00 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि ।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

गावों की सूची जो तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर होंगे ।

क्रम संख्या	गांव का नाम
1	भ्रदा
2	बन्नी
3	मान्दा
4	कुमाहरकडी
5	सिलपडी
6	बडग्रं
7	खणबग
8	कुटल
9	लडोगी
10	मोरदू
11	चुलाड
12	तुन्दाह
13	गवाड
14	सूलो
15	बनार
16	पलानी
17	सरोठा
18	कुठार